[1][प्ररुप सं. 10-झठ

[नियम 21 कञक देखें]

नियम 21 कञक के उप–नियम (3) के अधीन एक लेखाकार द्वारा सत्यापन

सत्यापन

मैंने/हम ____ ने खाते की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जिसमें ______________________ के पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त आय का विवरण दिखाया गया है (अपतटीय बैंकिंग इकाई का नाम जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त है और/या धारा 115कघ की उप–धारा (1ख) के अधीन रियायती दरों के लिए पात्र है।

2. इसके अतिरिक्त, मैं/हम पुष्टि करता हूं/करते हैं कि .... (अपतटीय बैंकिंग इकाई का नाम) के पात्र निवेश प्रभाग ने निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया हैः

क्र.सं.	शर्त	पूरी हुई या नही
(*i*)	इसने रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग के लिए अलग खाते बनाए हैं;	हां/नहीं
(*ii*)	इसने धारा 288 की उप–धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित खंड (*i*) में निर्दिष्ट खातों को प्राप्त किया है;	हां/नहीं
(*iii*)	इसने निवेशों को खरीदने और बेचने के लिए भीतर के प्रेषण से संबंधित उचित दस्तावेज बनाए रखा है;	हां/नहीं
(*iv*)	इसने भारत में किए गए आवक प्रेषण के उपयोग के संबंध में उचित दस्तावेज बनाए रखा है;	हां/नहीं
(*v*)	इसने रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग के सभी खातों का बैंक विवरण बनाए रखा है;	हां/नहीं
(*vi*)	इसने रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित करार नोट बनाए रखा है; और	हां/नहीं
(*vii*)	इसने अभिरक्षक द्वारा जारी प्रतिभूतियों का विवरण रखा है।	हां/नहीं

3. मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान

____

(लेखाकार के नाम के साथ हस्ताक्षर)

तारीख ______________________ ।]

---

1. आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2022 द्वारा **1.4.2022** से अंतःस्थापित।